अपराध पीड़ित सहायता

व्यक्तियों और परिवारों पर अपराध के प्रभाव विनाशकारी और चिरस्थायी हो सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति न्याय विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस) के अपराध पीड़ित कार्यालय (ऑफ़िस फ़ॉर विक्टिम्स ऑफ़ क्राइम) के ज़रिए सहायता और क्षतिपूर्ति पा सकते हैं।

प्र: अपराध पीड़ित क्षतिपूर्ति क्या है?

अपराध पीड़ित क्षतिपूर्ति विभिन्न अपराधों से पीड़ित हुए व्यक्तियों और जीवित बचे परिजनों को लाभ प्रदान करती है; इन विभिन्न अपराधों में घरेलू दुर्व्यवहार, हमला, यौन दुर्व्यवहार, लूट/डकैती, मानवहत्या, पीछा करना, बाल दुर्व्यवहार और ख़राब ड्राइविंग शामिल हो सकते हैं। लाभों और पीड़ित सहायता सेवाओं की फ़ंडिंग को न्याय विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस) के अपराध पीड़ित कार्यालय (ऑफ़िस फ़ॉर विक्टिम्स ऑफ़ क्राइम, OVC) के द्वारा प्रत्येक राज्य में बाँट दिया जाता है। वे अपराध-संबंधी व्यय, जो कवर किए जाते हैं, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं, पर आम तौर पर उनमें चिकित्सा लागतों, परामर्श, शवयात्रा व अंतिम संस्कार के शुल्कों, और वेतन या सहायता की हानि को शामिल किया जाता है। अन्य क्षतिपूरणीय व्ययों में आवश्यक व्यक्तिगत संपत्ति (चश्मा, नकदी, कपड़े) का प्रतिस्थापन, अपराध स्थल की साफ़-सफ़ाई, सीमित दिवसीय देखभाल या स्कूल पश्चात लागतें, आवश्यक न्यायालय उपस्थितियों के लिए परिवहन, स्थानांतरण व्यय और अस्थायी ठहराव शामिल हो सकते हैं।

OVC वेबसाइट(https://ovc.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh226/files/pubs/helpseries/index.html) पर अपराध-विशिष्ट सहायता ब्रोशर उपलब्ध हैं जो बताते हैं कि पीड़ित होने पर क्या किया जाए और अतिरिक्त राष्ट्रीय संसाधनों के लिंक प्रदान करते हैं।

प्र: अपराध पीड़ित सेवाएँ क्या हैं?

इन ग़ैर-आपातकालीन कार्यक्रमों को अपराध के पीड़ितों को और सहायता देने के लिए तैयार किया गया है; इसके लिए वे सीधी क्षतिपूर्ति से भी आगे के अतिरिक्त संसाधन प्रदान करते हैं, जिनमें स्थानीय सहायता समूहों, क़ानूनी और अनुवाद सेवाओं, तथा आपातकालीन आश्रय की पहुँच शामिल है। वक़ील भी व्यक्तियों

को राज्य कार्यालयों में क्षतिपूर्ति के दावे दायर करने में मदद दे सकते हैं और आवश्यक न्यायालय उपस्थितियों में उनके साथ जा सकते हैं। अपराध पीड़ित सेवाएँ सार्वजनिक एजेंसियों और निजी संगठनों द्वारा दी जाती हैं और उन्हें अक्सर OVC अनुदानों के ज़रिए फ़ंडिंग मिलती है।
हज़ारों अपराध पीड़ित सेवा कार्यक्रमों का एक डेटाबेस OVC वेबसाइट(https://ovc.ojp.gov/directory-crime-victim-services/search) पर उपलब्ध है जिसे राज्य, अपराध और सेवाओं के अनुसार खोजा व फ़िल्टर किया जा सकता है।

प्र: मैं अपराध पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन कैसे कर सकता/ती हूँ?

कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट, गुआम, वर्जिन आइलैंड्स और प्वेर्तो रीको के साथ-साथ हर राज्य पीड़ित सहायता और क्षतिपूर्ति कार्यक्रमों के लिए फ़ंड बाँटता है।

आपको उस राज्य या राज्यक्षेत्र में लाभों के लिए आवेदन करना होगा जहाँ अपराध हुआ था। अलग-अलग राज्यों/राज्यक्षेत्रों की नीतियाँ अलग-अलग हो सकती हैं, जिनमें वह समयावधि शामिल है जिसके भीतर अपराध की सूचना पुलिस को देने पर ही व्यक्ति क्षतिपूर्ति का पात्र होता है, अन्यथा नहीं। यदि आप किसी अपराध के पीड़ित हैं, तो तुरंत अपने राज्य की पात्रता आवश्यकताएँ जाँचें ताकि आपसे सूचना देने की समयसीमा छूट न जाए। साथ ही, फ़ंडिंग हेतु पात्र होने के लिए यह ज़रूरी है कि व्यक्ति अभियोजन के प्रयासों में सहयोग करे।

राजकीय OVC कार्यालयों की एक खोज-योग्य निर्देशिका नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ क्राइम विक्टिम कंपन्सेशन बोर्ड्स की वेबसाइट(https://nacvcb.org/state-information/) पर या 703-780-3200 पर कॉल के ज़रिए उपलब्ध है।

प्र: क्या मेरे सारे व्यय कवर होंगे?

अन्य संसाधनों, जिनमें स्वास्थ्य व बीमा पॉलिसियाँ और/या कर्मी क्षतिपूर्ति शामिल हैं, के ख़त्म हो जाने के बाद क्षतिपूर्ति लाभ प्रदान किए जाते हैं। अलग-अलग राज्यों में स्वीकृत क्षतिपूर्ति की ऊपरी सीमाएँ अलग-अलग हैं, और राज्य के क़ानून के तहत कवर होने वाले अपराध-संबंधी विशिष्ट व्यय भी अलग-अलग हैं।

प्र: यदि मेरे साथ संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर कोई अपराध हो तो?

विदेश में किसी अपराध से पीड़ित होने वाले अमेरिकी नागरिकों को सहायता के लिए अमेरिकी राज्य विभाग (यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ स्टेट) के विदेशी नागरिक सेवाएँ कार्यालय (ऑफ़िस ऑफ़ ओवरसीज़ सिटिज़ंस

सर्विसेज़)(https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/emergencies/crime.html) से संपर्क करना चाहिए। (अमेरिका या कैनेडा से) 1-888-407-4747 पर या (विदेशों से) 202-501-4444 पर कॉल करें या निकटतम दूतावास (एंबेसी) या वाणिज्य दूतावास (कॉन्सुलेट)(https://www.usembassy.gov/) ढूँढ़ें जहाँ चौबीसों घंटे आपातकालीन सहायता उपलब्ध है।

साथ ही, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित व्यय कार्यक्रम (इंटरनेशनल टेररिज़्म विक्टिम एक्सपेंस प्रोग्राम)(https://ovc.ojp.gov/program/international-terrorism-victim-expense-reimbursement-program-itverp/about-itverp) उन अमेरिकी नागरिकों को प्रतिपूर्ति देता है जो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों के फलस्वरूप प्रत्यक्ष शारीरिक या भावनात्मक चोट से ग्रस्त होते हैं। योग्य व्ययों में चिकित्सीय उपचार, परामर्श, अस्थायी ठहराव, परिवहन, और शवयात्रा व अंतिम संस्कार की लागतें शामिल हैं। कुछ राज्य विदेशों में घटित हिंसक अपराधों के पीड़ितों को भी क्षतिपूर्ति दे सकते हैं।

प्र: पीड़ित अधिसूचना क्या है?

न्याय विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस) का पीड़ित अधिसूचना तंत्र (विक्टिम नोटिफ़िकेशन सिस्टम) संघीय अपराधों के पीड़ितों को निर्धारित न्यायालय कार्यक्रमों/आयोजनों/घटनाओं के बारे में सूचित करता है और अपराधी की अभिरक्षा स्थिति व रिहाई के बारे में जानकारी प्रदान करता है। पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक और लिखित अपडेट मिलते हैं और, एक PIN संख्या प्राप्त करने के बाद, वे VNS कॉल सेंटर को 1-866-365-4968 पर कॉल करके या उसकी वेबसाइट(https://www.notify.usdoj.gov/index.jsp) पर जाकर स्वचालित स्थिति जानकारी भी जान सकते हैं।

प्र: क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई विशिष्ट सहायता है?

60 वर्ष व इससे अधिक आयु के अपराध पीड़ितों की सहायता के लिए कई राष्ट्रीय व स्थानीय संसाधन उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय वृद्ध धोखाधड़ी हेल्पलाइन (नेशनल एल्डर फ़्रॉड हेल्पलाइन)(https://ovc.ojp.gov/program/stop-elder-fraud/providing-help-restoring-hope) वरिष्ठजनों को धोखाधड़ी की सूचना देने में मुफ़्त मदद करती है; इन धोखाधड़ियों में ईमेल वसूली, स्वीपस्टेक्स स्कीमें, और वे घोटाले शामिल हैं जिनमें अज्ञात व्यक्ति ज़रूरतमंद पोते/पोती/धेवते/धेवती का रूप धर लेते हैं। हर कॉलर के लिए केसकर्मी निर्धारित किया जाता है और वे केस-दर-केस आधार पर व्यक्तियों को अतिरिक्त संसाधनों से जोड़ सकते हैं। हॉटलाइन से 1-833-372-8311 पर पूर्वी समयानुसार सोमवार से शुक्रवार, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच संपर्क करें।

दीर्घकालिक देखभाल लोकपाल कार्यक्रम (लॉन्ग-टर्म केयर ओम्बड्समेन प्रोग्राम)(https://acl.gov/programs/Protecting-Rights-and-Preventing-Abuse/Long-term-Care-

Ombudsman-Program) की देखरेख स्वास्थ्य एवं मानव सेवाएँ विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज़) के सामुदायिक जीवन-यापन प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन फ़ॉर कम्युनिटी लिविंग) द्वारा किया जाता है, और यह कार्यक्रम नर्सिंग होम, सहायित जीवन-यापन (असिस्टेड लिविंग) इकाइयों और अन्य आवासीय देखभाल गृहों में रहने वाले निवासियों की ओर से पक्षधरता करता है। उन संभावित दुर्व्यवहारों जिनकी सूचना लोकपाल (ओम्बड्समेन) को दी जा सकती है, में शारीरिक, मौखिक और मानसिक दुर्व्यवहार; ख़राब गुणवत्ता वाली देखभाल; और रासायनिक या भौतिक अंकुशों का ग़लत उपयोग शामिल हैं। राज्य लोकपालों (स्टेट ओम्बड्समेन) का एक डेटाबेस नेशनल कंज़्यूमर वॉइस फ़ॉर क्वालिटी लॉन्ग-टर्म केयर की वेबसाइट(https://acl.gov/programs/Protecting-Rights-and-Preventing-Abuse/Long-term-Care-Ombudsman-Program) पर उपलब्ध है।

वयस्क संरक्षण सेवाएँ (एडल्ट प्रोटेक्टिव सर्विसेज़, APS) ऐसी समाज सेवा एजेंसियाँ हैं जिनके पास उल्लेखनीय शारीरिक और/या मानसिक कमज़ोरियों से ग्रस्त वयस्कों को प्रभावित करने वाले संभावित दुर्व्यवहार की सूचनाओं की पड़ताल करने का क़ानूनी प्राधिकार होता है। APS हर राज्य में निजी घरों में दुर्व्यवहार की सूचनाओं की पड़ताल करती है; कुछ राज्यों में APS नर्सिंग होम और सहायित जीवन-यापन (असिस्टेड लिविंग) इकाइयों में दुर्व्यवहार की सूचनाओं की भी पड़ताल करती है। स्थानीय कार्यालयों का एक राष्ट्रव्यापी डेटाबेस, नेशनल एडल्ट प्रोटेक्टिव सर्विसेज़ एसोसिएशन की वेबसाइट(http://www.napsa-now.org/get-help/help-in-your-area/) पर उपलब्ध है।

प्र: मुझे अपराध पीड़ित सहायता के संबंध में मदद और अधिक जानकारी कहाँ मिल सकते हैं?

रा‍ष्ट्रीय हॉटलाइनों की व्यापक सूची के लिए, और अपराध पीड़ितों हेतु उपलब्ध सेवाओं तथा संसाधनों के बारे में और जानने के लिए, OVC की हेल्प फ़ॉर विक्टिम्स(https://ovc.ojp.gov/help-for-victims/toll-free-helplines.pdf):हेल्पलाइन्स लिस्ट(https://ovc.ojp.gov/help-for-victims/toll-free-helplines.pdf) की मदद लें।

स्रोत: यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिसेज़ ऑफ़िस फ़ॉर विक्टिम्स ऑफ़ क्राइम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ क्राइम विक्टिम कंपन्सेशन बोर्ड्स, यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ स्टेट्स ऑफ़िस ऑफ़ ओवरसीज़ सिटिजंस सर्विसेज़, नेशनल एल्डर फ़्रॉड हॉटलाइन, लॉन्ग-टर्म केयर ओम्बड्समेन प्रोग्राम, एडल्ट प्रोटेक्टिव सर्विसेज़।

किसी से बात करनी है?

हमारे जानकारी विशेषज्ञ आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपलब्ध हैं। सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9 बजे से रात 8 बजे (पूर्वी समयानुसार) तक टोल फ्री नंबर 1-800-539-7309 पर कॉल करें। या https://www.christopherreeve.org/hi/get-support/ask-us-anything/form पर कॉल निर्धारित करें अथवा ऑनलाइन प्रश्न पूछें।

इस संदेश में निहित जानकारी आपको पक्षाघात और उसके प्रभावों के बारे में शिक्षित करने व सुविज्ञ बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इस संदेश में निहित किसी भी चीज़ का अर्थ चिकित्सीय निदान या उपचार के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए और न ही वह इसके लिए प्रयोग करने हेतु उद्दिष्ट है। इसका उपयोग आपके चिकित्सक या अन्य किसी योग्य स्वास्थ्य-देखभाल प्रदाता की सलाह के स्थान पर नहीं किया जाना चाहिए। यदि आपको स्वास्थ्य देखभाल संबंधी कोई प्रश्न पूछना हो तो कृपया शीघ्रता से अपने चिकित्सक या अन्य किसी योग्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को फोन करें या उनसे मिलें। कोई भी नया उपचार, आहार या तंदुरुस्ती कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हमेशा अपने चिकित्सक या अन्य किसी योग्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से परामर्श करें। आपको कभी-भी इस संदेश में पढ़ी गई किसी चीज़ के कारण चिकित्सीय सलाह की अवहेलना नहीं करनी चाहिए अथवा उसे प्राप्त करने में विलंब नहीं करना चाहिए।

इस प्रकाशन को कुल $87,00,000 मूल्य के वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में सामुदायिक जीवन-यापन प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन फ़ॉर कम्युनिटी लिविंग, ACL), अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवाएँ विभाग (यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज़, HHS) की ओर से सहायता मिलती है जिसका 100 प्रतिशत वित्तपोषण ACL/HHS द्वारा किया जाता है। विषय-वस्तुएँ रचियता(ओं) द्वारा रचित हैं और आवश्यक नहीं कि वे ACL/HHS, या अमेरिकी सरकार के आधिकारिक विचारों को या उनके द्वारा विषय-वस्तुओं के समर्थन को